


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अवमानना संख्या : 11/2017

उनवान:- ग्यारसीलाल बनाम श्रीकिशन वगै.

13/05/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अवमानना पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का मय दस्तावेजात मूल प्रार्थना पत्र टीआई व मूलवाद का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजात या स्वतंत्र साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो सके की अप्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय